भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2267

(जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"सेब पर आयात शुल्क"

2267. **श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर 2023 में आयात शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने के पश्चात् विशेष रूप से अमेरिका से सेब का आयात काफी बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार ने कश्मीर घाटी में सेब के घरेलू किसानों पर सेब के आयात में वृद्धि के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार को सेब किसान संघों से घरेलू उत्पादकों के संरक्षण हेतु आयात शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि घरेलू सेब किसान आयातित सेबों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): सेब के आयात पर वर्तमान में 50 प्रतिशत सीमाशुल्क लगता है जो पहले से ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा निर्धारित दर पर है। 70 प्रतिशत आयात शुल्क केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से आयात पर लागू था। क्योंकि अतिरिक्त 20 प्रतिशत सीमाशुल्क केवल प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर लगाया जाता था। विश्व व्यापार संगठन के कुछ विवादों के समाधान होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर 20 प्रतिशत प्रतिशोधात्मक सीमाशुल्क हटा दिया गया था।

व्यापार सांख्यिकी, डीओसी के अनुसार सेब के आयात के आंकड़े निम्नानुसार हैः

(लाख रु. में)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024 (अप्रैल–सितंबर)
36,237	25,998	16,153	4,117	17,716	17,902

(ख): राजस्व विभाग द्वारा ऐसा कोई आंकलन नहीं कराया गया है।

(ग): हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): फिलहाल ताजे सेब के आयात पर 50 प्रतिशत सीमाशुल्क लगता है जो पहले से ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत दर पर है इसके बाद कोई शुल्क लगाया नहीं जा सकता है।

*****